

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां
पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर: 269/2022

वादीया -

चन्द्र कंवर पत्नी शिव सिंह जाति राजपूत उम्र 70 वर्ष निवासी उलाणा तहसील नावां
जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. अंजना कंवर पुत्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां।
2. अनिता कंवर पुत्री मालसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
3. इचरजकंवर पुत्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
4. उमीर कंवर पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
5. केलकंवर पत्नी बजरंगसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
6. कल्याणसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
7. कानसिंह पुत्र हिम्मत जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
8. गंगासिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
9. गुलाबकंवर पत्नी कानसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
10. गोपाल कंवर पुत्री आंसुसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
11. गोपालसिंह पुत्र खींवसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
12. चांदसिंह पुत्र जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
13. जिवराज सिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
14. झब्बरसिंह पुत्र बनेसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
15. दयालसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
16. दशरथसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
17. नवीनसिंह पुत्र शिम्भुसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
18. पूनम पुत्री सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
19. पप्पुसिंह पुत्र नथुसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
20. प्रकाश कंवर पत्नी जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
21. प्रतापसिंह पुत्र दयालसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
22. पुष्पकंवर पुत्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
23. पुष्पाकंवर पुत्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
24. पीकू पुत्री सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
25. बजरंग सिंह पुत्र चत्तरसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
26. बागसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
27. बोदुसिंह पुत्र समानसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
28. भंवरकंवर पत्नी नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
29. भंवरकंवर पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
30. भारतसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां

31. भोपालसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां जिला
32. मंजूकंवर पत्नी शिम्भुसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
33. मनजीत कंवर पुत्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
34. मनोहरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
35. मनोहरसिंह पुत्र आंसुसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
36. राजस्थान सरकारी जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) नावां ।

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट
एवं अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट

उपस्थित :- श्री धर्मेन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीया
श्री सतीश कुमार तहसीलदार नावां

निर्णय

दिनांक :- 09.09.2023

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया के पति के नाम से ग्राम उलाणा में कब्जा काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि स्थित चली आ रही है जिस पर वादीया अपने पति के स्वर्गवासोपरान्त एकमात्र वारिस वादीया निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से काश्त करती चली आ रही है। मौजा ग्राम उलाणा पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा संख्या 247 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 382 रकबा 0.4600 हैक्टर, खसरा संख्या 402 रकबा 2.3000 हैक्टर, खसरा संख्या 404 रकबा 1.8400 हैक्टर कुल रकबा 5.6500 हैक्टर भूमि में से 1/144 हिस्से की भूमि व खसरा संख्या 197 रकबा 2.8300 हैक्टर भूमि में से 1/180 हिस्से की भूमि व खसरा संख्या 130 रकबा 2.2900 हैक्टर, खसरा संख्या 135 रकबा 3.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 242 रकबा 1.1200 हैक्टर कुल रकबा 6.5400 हैक्टर भूमि में से 1/30 हिस्से की भूमि खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसमें वादीया के पति का नाम गलती से श्योजीसिंह पुत्र हरिसिंह दर्ज हो गया है जबकि वादीया के पति का वास्तविक एवं सही नाम शिव सिंह पुत्र हरी सिंह है। अन्य दस्तावेज सरकारी रिकार्ड में उसमें भी मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, भामाशाह कार्ड, विद्युत बिल, मृत्यु प्रमाण पत्र में वादीया के पति का नाम शिव सिंह पुत्र हरी सिंह ही है। वादीया के पति का नाम शिव सिंह पुत्र हरी सिंह वास्तविक एवं सही नाम है, ग्राम उलाणा के खसरा संख्या 247 , 382 , 402 ,404 , 197 ,130 , 135 ,242 की भूमि में वादीया के पति का नाम श्योजीसिंह पुत्र हरिसिंह गलती से दर्ज हो गया है, जो सदभावी लिपीकिय गलती है, जिसको दुरुस्त किया जाना वादीया के हितों के लिए आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित भूमि में वादीया के पति का नाम श्योजीराम पुत्र हरिसिंह के स्थान पर शिव सिंह पुत्र हरी सिंह करने हेतु रिकार्ड दुरुस्ती की डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण फरमाकर राजस्व रिकार्ड में मुताबिक डिक्री अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की।

वादीया का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता वादीया ने प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 35 के खिलाफ कार्यवाही को ड्रॉप करने पेश कर निवेदन किया प्रतिवादी संख्या 1 ता 35 अनावश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण होने एवं उनके विरुद्ध किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाहते है इसलिए उनको पक्षकार प्रतिवादीगण हटाया जावें। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 35 को पक्षकार प्रतिवादी हटाया गया। पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत में हेतु नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 36 तहसीलदार नावां स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र में वर्णित भूमि में वादीया के पति का श्योजीसिंह पुत्र हरिसिंह के स्थान पर शिव सिंह पुत्र हरि सिंह किया जाना उचित है।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी तहसीलदार नावां के अनुसार मौजा ग्राम उलाणा पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा संख्या 247 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 382 रकबा 0.4600 हैक्टर, खसरा संख्या 402 रकबा 2.3000 हैक्टर, खसरा संख्या 404 रकबा 1.8400 हैक्टर कुल रकबा 5.6500 हैक्टर व खसरा संख्या 197 रकबा 2.8300 हैक्टर व खसरा संख्या 130 रकबा 2.2900 हैक्टर, खसरा संख्या 135 रकबा 3.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 242 रकबा 1.1200 हैक्टर कुल रकबा 6.5400 हैक्टर भूमि में वादीया के पति का नाम श्योजीसिंह पुत्र हरिसिंह के स्थान पर शिव सिंह पुत्र हरि सिंह दुरुस्त कर घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम उलाणा पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा संख्या 247 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 382 रकबा 0.4600 हैक्टर, खसरा संख्या 402 रकबा 2.3000 हैक्टर, खसरा संख्या 404 रकबा 1.8400 हैक्टर कुल रकबा 5.6500 हैक्टर व खसरा संख्या 197 रकबा 2.8300 हैक्टर व खसरा संख्या 130 रकबा 2.2900 हैक्टर, खसरा संख्या 135 रकबा 3.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 242 रकबा 1.1200 हैक्टर कुल रकबा 6.5400 हैक्टर भूमि में वादीया चन्द्र कंवर के पति का नाम श्योजीसिंह पुत्र हरिसिंह के स्थान पर शिव सिंह पुत्र हरि सिंह दुरुस्त कर घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(विश्वामित्र मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

अदालत:- उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना-कुचामन, राज.

अज अदालत :- श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.


वादीया -

चन्द्र कंवर पत्नी शिव सिंह जाति राजपूत उम्र 70 वर्ष निवासी उलाणा तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. अंजना कंवर पुत्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां।
2. अनिता कंवर पुत्री मालसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
3. इचरजकंवर पुत्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
4. उमीर कंवर पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
5. केलकंवर पत्नी बजरंगसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
6. कल्याणसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
7. कानसिंह पुत्र हिम्मत जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
8. गंगासिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
9. गुलाबकंवर पत्नी कानसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
10. गोपाल कंवर पुत्री आंसुसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
11. गोपालसिंह पुत्र खींवसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
12. चांदसिंह पुत्र जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
13. जिवराज सिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
14. झब्बरसिंह पुत्र बनेसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
15. दयालसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
16. दशरथसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
17. नवीनसिंह पुत्र शिम्भुसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
18. पूनम पुत्री सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
19. पप्पुसिंह पुत्र नथुसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
20. प्रकाश कंवर पत्नी जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
21. प्रतापसिंह पुत्र दयालसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
22. पुष्पकंवर पुत्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
23. पुष्पाकंवर पुत्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
24. पीकू पुत्री सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
25. बजरंग सिंह पुत्र चत्तरसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
26. बागसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
27. बोदुसिंह पुत्र समानसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
28. भंवरकंवर पत्नी नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
29. भंवरकंवर पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
30. भारतसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
31. भोपालसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां जिला
32. मंजूकंवर पत्नी शिम्भुसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
33. मनजीत कंवर पुत्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
34. मनोहरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
35. मनोहरसिंह पुत्र आंसुसिंह जाति राजपूत निवासी उलाणा तहसील नावां
36. राजस्थान सरकारी जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) नावां।


उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

इनफिसाल कतई रुबरू.....बहाजरी श्री धर्मेन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण को डिक्री दी जाती हैं कि :-

वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम उलाणा पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा संख्या 247 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 382 रकबा 0.4600 हैक्टर, खसरा संख्या 402 रकबा 2.3000 हैक्टर, खसरा संख्या 404 रकबा 1.8400 हैक्टर कुल रकबा 5.6500 हैक्टर व खसरा संख्या 197 रकबा 2.8300 हैक्टर व खसरा संख्या 130 रकबा 2.2900 हैक्टर, खसरा संख्या 135 रकबा 3.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 242 रकबा 1.1200 हैक्टर कुल रकबा 6.5400 हैक्टर भूमि में वादीया चन्द्र कंवर के पति का नाम श्योजीसिंह पुत्र हरिसिंह के स्थान पर शिव सिंह पुत्र हरि सिंह दुरुस्त कर घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। तहरीर जारी हो।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.09.2023 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत:

(Signature)

ओहदा : उपखण्ड अदालत, नावां

नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL